

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. अपील संख्या – 887/2014/बीकानेर.
2. अपील संख्या – 888/2014/बीकानेर.

मैसर्स अम्बर मार्केटिंग,
एफ-137, बिछवाल इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘ए’, बीकानेर.प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री नारायणदास, व्यवहारीअपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 20/10/2014

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे ‘प्रशासनिक अधिकारी’ कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत व्यवहारी के प्रार्थना पत्र सं. प.4(179) कर/34/उपा-बी/13-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दायर प्रार्थना पत्र जिसमें उसके वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24, 55 व 58 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘ए’, बीकानेर (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक-पृथक एकतरफा कर निर्धारण आदेशों दिनांक 28.3.2013 को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने हेतु निवेदन किया था, को निरस्त किया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2010-11 के वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये सम्मनों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 24, 55, 58 व




२- लगातार.....2

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.3.2013 को पारित करते हुए मांग क्रमशः रुपये 12,26,190/- व रुपये 27,18,680/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेशों को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 10.04.2014 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई दिनांक 25.3.2013 को वह स्वयं बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। इस बाबत उनके द्वारा डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन व प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसे अस्वीकार किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार उन्हें नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी ने भी मानवीय दृष्टिकोण को नजरअंदाज करते हुए धारा 34 के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी को सुनवाई दिनांक 25.3.2013 के लिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये थे, साथ ही जरिये चस्पांदगी नोटिसों की तामीली करवाई गई। इसके बावजूद अपीलार्थी की ओर से सुनवाई दिनांक को किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 34 के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।





7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरणों में पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये वेट अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किये गये, जो अपीलार्थी को तामील होना स्पष्ट है, क्योंकि उक्त नोटिसों की प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कुछ दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 190-191 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 25.3.2013 को अपीलार्थी स्वयं बीमार थे एवं डॉ. शशिकान्त अग्रवाल के समक्ष उपाचाराधीन थे। अपीलार्थी द्वारा इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 25.3.2013 (सुनवाई दिनांक) को ही दे दी थी एवं आगामी तारीख पेशी देने बाबत निवेदन भी किया गया था, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रकरणों में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी के धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये हैं, जिन्हें न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का आदेश दिनांक 10.04.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2013 अपास्त किये जाकर दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, उनके द्वारा आवेदित दस्तावेजात प्रदान कर आलौच्य अवधि के विधिसम्मत कर निर्धारण आदेश पुनः पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष